न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 82/2019

निर्णय दिनांक: 31.3.2021

ईशरराम उर्फ अशोक कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

— वादी —

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़।

— प्रतिवादी —

उपस्थितिः—

1 श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी

2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भूराजस्व अधिनियम।

यह वाद ईशरराम उर्फ अशोक कुमार ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है व वादी जाट जाति से है। यह है कि ग्राम मोमासर में वादी का परिवार राशन कार्ड बना हुआ है जिसमें वादी का नाम अशोक कुमार पुत्र भगवानाराम अंकित है तथा वादी के तमाम सरकारी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का नाम अशोक कुमार अंकित है। वादी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 142 तादादी 1.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 384 तादादी 3.34 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिस पर वादी का 1/5 हिस्सा पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसी प्रकार वादी की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 1487 तादादी 30.92 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिस पर वादी का 1/12 हिस्सा पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त खेतों की खातेदारी में वादी का नाम ईशरराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट चला आ रहा है जबकि वादी का सही व सरकारी दस्तावेजों में वास्तविक नाम अशोक कुमार पुत्र भगवानाराम अंकित है। वादी के अपने इस नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत मोमासर द्वारा भी दिनांक 05.07.2019 को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वादी को मोहल्ले, रिश्तेदारी, जान पहचान, यारदोस्त सब जगह अशोक कुमार पुत्र भगवानाराम जाट के नाम से ही जाना व पुकारा जाता है। वादी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 142, 384, 1487 वाकेरोही मोमासर में वादी का नाम ईशरराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट चला आ रहा है। वादी अपने उक्त संयुक्त खातेदारी के खेतों में अंकित नाम **ईशरराम पुत्र भगवानाराम** की जगह **अशोक कुमार** पुत्र **भगवानाराम जाति जाट** संशोधन करवाना चाहता है जिसके लिए यह संशोधन हेतु वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि वादी केवल साक्षर व्यक्ति है तथा सद्भाविक कृषक है, सिर्फ उसको हस्ताक्षर ही करने आते है। वादी जब अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर [illegible] 384, 1487 में वादी का नाम ईशरराम पुत्र [illegible] वादी का नाम ईशरराम भगवानाराम लिखा हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त [illegible] वादी का नाम अशोक कुमार अंकित होने से तथा अन्य तमाम [illegible] रहा है इसलिए वादी अंकित होने से वादी को भारी परेशानियां [illegible] अपने संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 142, 384 व 1487 रोही मोमासर के राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम **ईशरराम पुत्र** भग[illegible]राम की जगह [illegible] सही व वास्तविक नाम व सरकारी दस्तावेजों अंकित नाम **अशोक कुमार पुत्र** भग[illegible] जाति

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:10:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

जाट की घोषणा करवाना चाहता है इसलिए यह घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि गांव मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में ईशरराम पुत्र भगवानाराम व अशोक कुमार पुत्र भगवानाराम एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी के अलावा उक्त नामों का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। उपरोक्त खेतों के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम की दुरूस्ती व घोषणा होने से वादी के उक्त खेतों का रिकार्ड सही व दुरूस्त हो जावेगा व अन्य किसी के हितों पर कोई विपरीत असर नही पड़ेगा व किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। उपरोक्त वर्णित खेतों में वादी के नाम की घोषणा कर दुरूस्ती करने के लिए दिनांक 15.07.2019 को प्रतिवादी से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपके नाम की रिकार्ड शुद्धिकरण करना व घोषणा करना मेरे लिए संभव नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि व घोषणा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु उत्पन्न हुआ है व उक्त वर्णित खेत वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से वादाधार प्राप्त है। यह है कि दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है। घोषणात्मक दावा हेतु स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व स्टेट को धारा 80 सी.पी.सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। वादगत खेतों में वादी का अलग नाम व सरकारी दस्तावेजों में अलग नाम चले आने से वादी को भारी असुविधा व कठिनाइयां हो रही है इसलिए वादी को तुरन्त दावा पेश कर करना आवश्यक हो गया है। वादी द्वारा धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की आज्ञा से दावा किया जा रहा है। यह है कि वादगत खेत रोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है। यह है कि दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः दावा वादी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :—

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 142 तादादी 1.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 384 तादादी 3.34 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1487 तादादी 30.92 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी का जो **ईशरराम पुत्र भगवानराम** नाम अंकित चला आ रहा है उसकी जगह **अशोक कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट** घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में सुद्धिकरण करने का आदेश प्रतिवादी को दिया जावे व आदेश की पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

(ख) कि वादगत अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तरफ से पैरोकार राज ने जवाब पेश किया कि रोही ग्राम मोमासर के खेत खसरा नम्बर 142, 384, 1487 में ईश्वरराम उर्फ अशोक कुमार पुत्र भगवानाराम की बजाय अशोक कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी मोमासर शुद्ध किया जाता है। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी एवं प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का पेश किया गया। बहस सुनी गई। वाद का अवलोकन किया गया। स्टेट को वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:10:06 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 142 तादादी 1.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 384 तादादी 3.34 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1487 तादादी 30.92 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी का जो ईशरराम पुत्र भगवानराम नाम अंकित चला आ रहा है उसकी जगह अशोक कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट शुद्ध किये जाने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को सरे इजलास मेर द्धारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:10:06 IST
Reason: SelfAttested